



F-07-07

**सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
**DEFENCE R&D ORGANISATION**  
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय  
**GOVERNMENT OF INDIA**  
**MINISTRY OF DEFENCE**  
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037  
**MARATHAHALLI COLONY P.O**  
**BENGALURU - 560 037**

**वर्ग अनुमोदन सं.: 1965 / Type Approval No.: 1965**

**मद / FOR ITEM: फ्युल कंटेंट गेजिंग प्रोब (एफ1-एफ/टी), पार्ट सं. 1851 00 000**  
**Fuel Content Gauging Probe (F1-F/T), Part No. 1851 00 000**

यह प्रमाणित किया जाता है कि एरोस्पेस सिस्टम्स एंड एक्जिक्यूटिव रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर (एएसईआरडीसी), मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एचएएल पी.ओ, लखनऊ - 226 016, द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित "फ्युल कंटेंट गेजिंग प्रोब (एफ1-एफ/टी)" पार्ट सं. 1851 00000, को जनरल असेंबली आरेखन सं. 185100000 -112, इश्यू-1, दिनांक 05 मई 2016 के अनुसार एलसीए (नेवी) में उपयोग हेतु अनुमोदित किया जाता है। यह आरसीएमए (लखनऊ) के रूपरेखाओं के अनुसार, नियंत्रक तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज सं. 180012000-224, इश्यू:बी, दिनांक 15 अक्टूबर 2013 और टेस्ट शेड्यूल दस्तावेज सं. 180012000-154, इश्यू-बी, दिनांक 29 अक्टूबर 2013, के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट 'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है।

*This is to certify that the "Fuel Content Gauging Probe (F1-F/T)" bearing the Part No.: 185100000, designed, developed and manufactured by Aerospace Systems & Equipment Research & Design Centre (ASERDC), M/s Hindustan Aeronautics Limited, HAL Post Office, Lucknow - 226 016 is hereby approved as per General Assembly Drawing No.: 185100000-112, Issue: 1, dated: 05<sup>th</sup> May 2016 for use in LCA (Navy). It has been tested as per governing Technical Specification Doc No.: 180012000-224, Issue: B, Dated: 15<sup>th</sup> October 2013 and Test Schedule Doc No.: 180012000-154, Issue: B, dated: 29<sup>th</sup> October 2013 as outlined by RCMA(Lko). It has met the requirements as detailed in type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.*

2. इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सूपरसीड होती है। इसके उत्पादन के लिए अपनाई विधि को अब से सील कर दिया जाता है। उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न अरेखनसंविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए। ,

*The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन 30 सितम्बर 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्थ या रद्द नहीं किया जाता, इसके बाद इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण करवाना होगा। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्वाजें के साथ आर सी एम ए (लखनऊ) से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid up to 30<sup>th</sup> September 2023 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA(Lko) for subsequent renewal, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.*

4. अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र सेमिल)कबेंगलूर की पूर्व सहमति लेनी होगी। ,( यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।

*Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not transferable to any other agency.*

5. यह वर्ग अनुमोदन थोक उत्पादन के लिए ,डी.जी.ए.क्यूभारत सरकार द्वारा ,रक्षा मंत्रालय ,ए.ा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी एवं स्पष्ट रूप से दर्शाए गए प्रोसेस के कड़े अनुपालन पर आधारित है।

*This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Government of India.*

संलग्न / Encl.: परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं./ No.: सेमिलेक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1965

दिनांक/ Date : 20 September 2018

फैक्स सं./ Fax No.: 080 - 2523 0856

K. J. H.



पी जयपाल / P.JAYAPAL

उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist

मुख्य कार्यपालक (उडनयोग्यता)  
Chief Executive (Airworthiness)